तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 136 मौजा मानेवड़ा के आधार पर वादग्रस्त भूमि ग्राम भोजनगर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 77 रकबा 48–00 बीघा, खसरा नम्बर 79 रकबा 37–10 बीघा तथा ग्राम मानेवड़ा पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 206 रकबा 4–03 बीघा 1/4 हिस्सा, एंव खसरा नम्बर 185 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 186 रकबा 13–16 बीघा 1/24 हिस्सा भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जो पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 09.11.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। 13/5/25 (सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप (फलोदी)	